फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्री कैलाश **विपक्षी : राज्य**

किस्म मुकदमा – 131,136 भू.रा. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 24/23**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 14.07.2023

पत्रावली अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा तलबी का प्रार्थना पत्र पेश करने पर तलब की गई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल फाईल हैं। विपक्षीगण द्वारा स्वीकारात्मक जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने पर सहमति व्यक्त की। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माना जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा अपने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण के अनुसार आराजी नम्बर 4832/1928 एवं 4833/1932 को आराजी नम्बर 4899/1928 के दक्षिण दिशा में पूर्ववत स्थान एवं आराजी नम्बर 4899/1928 को आराजी नम्बर 1928 से लगती हुई दक्षिण दिशा में पूर्ववत अनुसार तरमीम किया जाने का निवेदन किया। तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार विभाजन नक्शा ट्रेस में आ.स. 1932/1/ख एवं आ.स. 1928/1/ख को आराजी संख्या 1932/1 मी. एवं 1928/1 मी. के दक्षिण में दर्शाया गया जो सहखातेदारों के हिस्से कब्जेनुसार सही था और आज भी खातेदार उसी विभाजन अनुसार मौके पर काबिज होकर कब्जा काश्त है अर्थात् विभाजन नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम सही थी परन्तु राजस्व रेकार्ड के कम्प्युटरीकरण एवं नक्शों को ऑनलाईन करते वक्त भूलवश या सहवण से नवीन नक्शा ट्रेस में आराजी नम्बर 4899/1928 में आराजी नम्बर 4832/1928 को तरमीम कर दिया गया जो गलत है क्योंकि जिस स्थान पर आराजी नम्बर 4832/1928 को नवीन सेग्रीगेशन नक्शें में तरमीम किया गया है वों वहां पहले कभी था ही नही। अतः तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार उक्त त्रुटि सेग्रीगेशन के दौरान होना जाहिर हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा राजस्व नक्शें में पुनः सही तरमीम किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

:: आदेश ::

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू.रा.अ. का स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा बजाजनगर पटवार हल्का नाहरमगरा की आराजी नम्बर 4832/1928 एवं आराजी नम्बर 4833/1932 को आराजी नम्बर 4816/1928, 4817/1932 के दक्षिण दिशा में एवं आराजी नम्बर 4899/1928 को आराजी नम्बर 1928 से लगती हुई दक्षिण दिशा में तहसीलदार मावली से प्रस्तावित नक्शे अनुसार सही तरमीम किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। प्रस्तावित नक्शें अनुसार तरमीम किया जाने हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.08.29 16:37:05 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली